

न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी:- राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का रुणीजा

बनाम

अप्रार्थी:- हिम्मत सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह निवासी गिंगोली

अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 10/19

निर्णय दिनांक :- 09/09/2019

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रुणीजा ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सन् 2076 में सरहद गिंगोली के ख.न. 243,333 रकबा 0.05 है० भूमि किस्म गै.मु.नाला में बाड़ लगाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को चारों तरफ सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थी का नोटिस स्वयं से तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया जिसका अवलोकन किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी उपरोक्तानुसार पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार मौजा गिंगोली के ख.न 333 243 रकबा 0.05 हैक्टयेर भूमि किस्म गै.मु.नाला में अतिक्रमण किया हुआ है।

प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी का मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से वेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6 रूपये प्रति हैक्टयेर से अतिक्रमित भूमि 0.05 है० के 0.30 रूपये के लगान का 50 गुणा 15/- अक्षरे पंद्रह रूपये वतौर जुर्माना कायम किया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से वेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।



तहसीलदार परबतसर